

प्रेस नोट संख्या - 41

दिनांक – 24.05.2026

सराहनीय कार्य अमेठी पुलिस

“ऑपरेशन चक्रव्यूह” अभियान के तहत थाना मुसाफिरखाना पुलिस द्वारा गैंगेस्टर एक्ट में वांछित व 20 हजार रुपये का इनामिया अभियुक्त सहित कुल 02 अभियुक्त गिरफ्तार ।

अभियुक्तों के कब्जे से व निशानदेही पर चोरी की कुल 04 मोटरसाइकिलें व 01 मोबाइल फोन बरामद ।

पुलिस अधीक्षक अमेठी श्री सरवणन टी. के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक अमेठी श्री ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में जनपद अमेठी में संदिग्धों की चेकिंग एवं अपराध व अपराधियों की धर पकड़ हेतु चलाये जा रहे “ऑपरेशन चक्रव्यूह” अभियान के अन्तर्गत दिनांक 23.05.2026 को क्षेत्राधिकारी मुसाफिरखाना श्री अतुल कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना मुसाफिरखाना पुलिस द्वारा तलाश वांछित, देखभाल क्षेत्र व चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु, वाहन के दौरान मंगलम अण्डरपास के पास सुलतानपुर की तरफ से आ रहे मोटरसाइकिल सवार दो व्यक्तियों को रोक कर पूछताछ की गयी तो मोटरसाइकिल चालक ने अपना नाम-पता रोशन अहमद पुत्र इन्तजार अहमद निवासी ग्राम भीखीपुर थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी उम्र 26 वर्ष व पीछे बैठे व्यक्ति ने अपना नाम आकाश गुप्ता पुत्र राधेश्याम गुप्ता निवासी ग्राम गल्लामंडी थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी उम्र 19 वर्ष बताया । मोटरसाइकिल स्प्लेण्डर प्लस के कागज मांगने पर दिखा न सके । **रोशन अहमद थाना मुसाफिरखाना पर पंजीकृत मु0अ0सं0 110/26 धारा 2(ख)(1)/3 उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट में वांछित व 20 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित शातिर अपराधी है जिसके विरुद्ध पूर्व में चोरी के कई अभियोग पंजीकृत है** जिसके कब्जे से 02 मोबाइल फोन बरामद हुए जिसमें से 01 मोबाइल फोन रियल मी चोरी का होना बताया ।

बरामद स्प्लेण्डर प्लस मोटरसाइकिल व रियल मी मोबाइल फोन के संबंध में पूछताछ करने पर दोनों अभियुक्तों ने बताया कि वह दोनों मिलकर मोटरसाइकिल चोरी करते हैं जिन्हें बेच कर रुपये आपस में बराबर-बराबर बांट लेते हैं । बरामद यह स्प्लेण्डर मोटरसाइकिल चोरी की है जिसे करीब 03 माह पूर्व कामाख्या इण्टर कॉलेज सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ से चोरी किया था, बरामद मोबाइल उसी मोटरसाइकिल की डिग्गी में रखा था । अभियुक्तों की निशानदेही पर पब्लिक हॉस्पिटल के आगे एक खण्डहर से चोरी की 03 अन्य मोटरसाइकिलें बरामद हुईं, जिसमें अपाचे मोटरसाइकिल को लगभग 50 दिन पूर्व जनपद सुलतानपुर कचहरी से, दूसरी मोटरसाइकिल स्प्लेण्डर प्लस को लगभग 16 दिन पूर्व अलीगंज बाजार थाना बंधुआ कला जनपद सुलतानपुर से, तीसरी मोटरसाइकिल लगभग दो माह पूर्व राजापुर बाजार थाना कुड़वार जनपद सुलतानपुर से चोरी करना तथा पकड़े जाने के डर से मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट बदल देना बताया । गिरफ्तारी व बरामदगी के संबन्ध में थाना मुसाफिरखाना पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता—

1. रोशन अहमद पुत्र इन्तजार अहमद निवासी ग्राम भीखीपुर थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी उम्र 26 वर्ष ।
2. आकाश गुप्ता पुत्र राधेश्याम गुप्ता निवासी ग्राम गल्लामंडी थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी उम्र 19 वर्ष ।

बरामदगी-

1. स्प्लेण्डर मोटर साइकिल सं0 UP 72 BF 3135 मु0अ0सं0 42/26 धारा 303(2) बीएनएस थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ ।

2. अपाचे मोटर साइकिल सं० UP 44 AJ 7442 मु०अ०सं० 208/26 धारा 303(2) बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद सुलतानपुर ।
3. स्प्लेन्डर मोटर साइकिल सं० UP 44 S 5852 मु०अ०सं० 87/26 धारा 303(2) बीएनएस थाना बन्धुआ कला जनपद सुलतानपुर ।
4. स्प्लेन्डर मोटर साइकिल सं० UP 44 AX 2751 (फर्जी नं० प्लेट लगा हुआ था U-EV 0437) सम्बन्धित मु०अ०सं० 98/26 धारा 303(2) बीएनएस थाना कुड़वार जनपद सुलतानपुर ।
5. एक एन्ड्रायड मोबाइल फोन रियल मी सम्बन्धित मु०अ०सं० 42/26 धारा 303(2) बीएनएस थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

- मु०अ०सं० 110/26 धारा 2(ख)(1)/3 उ०प्र० गैंगेस्टर एक्ट थाना मुसाफिरखाना में वांछित व 20 हजार रुपये का इनामिया ।
- मु०अ०सं० 124/26 धारा 317(2),317(4),317(5),319, 318(4),338,340(2) बीएनएस थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी ।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. श्री विवेक कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी ।
2. निरीक्षक संजीव कुमार थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी ।
3. हे०का० मो० जावेद थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी ।
4. हे०का० नीरज कुमार यादव थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी ।
5. का० छवि लाल यादव थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी ।

गिरफ्तार अभियुक्त रोशन अहमद का आपराधिक इतिहास-

1. मु०अ०सं० 267/24 धारा 303(2), 317(2), 317(4) बीएनएस थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी ।
2. मु०अ०सं० 264/24 धारा 303(2) बीएनएस थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी ।
3. मु०अ०सं० 893/24 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद सुलतानपुर ।
4. मु०अ०सं० 64/24 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी ।
5. मु०अ०सं० 110/26 धारा 2(ख) (1)/3 उ०प्र० गैंगेस्टर एक्ट थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी ।